ादेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
करण संख्या 365/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
ज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, राजा पार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

मोहम्मद फैजल पुत्र अब्दुल रशीद,

फरजाना पत्नी अब्दुल रशीद,

अब्दुल रशीद पुत्र अली बक्श काजी,

पताः– 43, पुराना टेम्पो स्टेण्ड, कागजी कॉलोनी, सांगानेर, बाजार, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

पस्थितः– श्री सौरभ पंवार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांकः 29.10.2024

. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.01.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अब्दुल रशीद एवं फरजाना बेगम के स्वामित्त्व की संपत्ति पट्टा नं. 354, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 97.02 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 13,50,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,** 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 13,50,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,88,209/–रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.05.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अब्दुल रशीद एवं फरजाना बेगम के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति पट्टा नं. 354, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 97.02 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner